लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:3800
जिसका उत्तर मंगलवार, 22 दिसंबर, 2015 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री

3800. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइनबिक्री की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कंपनियों को खाद्यान्न तथा किराना-सामान सहित आवश्यक वस्तुओं कीऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों द्वारा बेची जा रही आवश्यक वस्तुओं के भण्डार का निरीक्षण करने के लिए निजी निगरानी तंत्र भी गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा सामान खुदरा बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है।वर्तमान में, ई-कॉमर्स/वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री को शासित करने के लिए कोई अलग कानून/विनियम नहीं है। अत:, किसी अन्य खुदरा व्यापार की तरह वे भी- दुकान एवं स्थापना अधिनियम, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आयकर अधिनियम, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और संविदा अधिनियम इत्यादि जैसे विभिन्न कानूनों के दायरे में आते हैं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

******